Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/227

संजय कुमार पुत्र दयाकृष्ण तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी –ए–24, पुरी इनक्लेव, आकाशवाणी कोलोनी, कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र दयाकृष्ण तिवारी जाति ब्राह्मण निलवासी – 2क – 25 दादाबाडी विस्तार योजना, कोटा ।
2. सुशीला तिवारी विधवा दयाकृष्ण तिवारी निवासी 2 –क– 25, दादाबाडी विस्तार योजना, कोटा ।
3. सूरजा बाई पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 101/दावा/2011

संजय कुमार पुत्र दयाकृष्ण तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी –ए–24, पुरी इनक्लेव, आकाशवाणी कोलोनी, कोटा ।

––वादी

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र दयाकृष्ण तिवारी जाति ब्राह्मण निलवासी – 2क – 25 दादाबाडी विस्तार योजना, कोटा ।
2. सुशीला तिवारी विधवा दयाकृष्ण तिवारी निवासी 2 –क– 25, दादाबाडी विस्तार योजना, कोटा ।
3. सूरजा बाई पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 19.11.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री धीरेन्द्र मालव एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट कम 3 की ओर से अभिभाषक श्री संजय पाटौदी के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 19.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

19.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/227

संजय कुमार पुत्र दयाकृष्ण तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी –ए–24, पुरी इनक्लेव, आकाशवाणी कोलोनी, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र दयाकृष्ण तिवारी जाति ब्राह्मण निलवासी – 2क – 25 दादाबाडी विस्तार योजना, कोटा ।
2. सुशीला तिवारी विधवा दयाकृष्ण तिवारी निवासी 2 –क– 25, दादाबाडी विस्तार योजना, कोटा ।
3. सूरजा बाई पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से ।
3. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पोलाईकला तहसील दीगोद जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 92 की 0.69 हैक्टर व खसरा नम्बर 696 की 5.59 हैक्टर कुल 02 किता की 6.28 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता श्री दयाकृष्ण जी की खातेदारी में थी। प्रतिवादी क्रम 1 ने अवैध रूप से तहसीलवालों से मिलकर बिना किसी वैध दस्तावेज के माता श्रीमती सुशीला का 1/3 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा कर अवैध रूप से प्रतिवादी क्रम 1 उक्त आराजी के 2/3 हिस्से का तथा वादी 1/3 हिस्से का संयुक्त खातेदार कृष दर्ज कराया जबकि प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार माता श्रीमती सुशीला तिवारी के 1/3 हिस्से को प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में हस्तान्तरण करने का कोई वैध दस्तावेज नहीं था । उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर

प्रतिवादी कम 1 बिना किसी विधिक अधिकार के उक्त भूमि को विक्रय करना चाहता है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 92 की 0.69 हैक्टर व खसरा नम्बर 696 की 5.59 हैक्टर के 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर आराजी को नियमानुसार विभाजन किया जावे तथा वादी के हिस्से की आराजी वादी की तन्हा खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को जरिय स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी कम 1 खसरा नम्बर 92 की भूमि के किसी भी भाग को किसी अन्य को बेचान नहीं करे ।

4. प्रतिवादी कम 1 व 2 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2018 के द्वारा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम पोलाईकला तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि में वादी हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी कम 1 हिस्सा 2/3 एवं खसरा नम्बर 696 रकबा 5.59 हैक्टर भूम में से वादी हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी कम 3 हिस्सा 2/3 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार तहसीलदार को वादग्रस्त आराजी का विभाजन किये जाने हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात प्लडिंग के विपरीत बनाई हैं जिसमें तनकीयात प्लीडिंग के अनुसार बनाई जाकर तथा संशोधित तनकीयात पर शहादत लेकर निर्णय करने के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिलीज डीड के अनुसार रेस्पोडेन्ट कम 1 का 2/3 हिस्सा मानने में भारी त्रुटि की है जबकि रिलीज डीड के आधार पर हिस्सा स्थानान्तरण नहीं हो सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात प्लीडिंग के अनुसार नहीं बनाई गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रिलीज डीड के आधार पर 2/3 हिस्से मानने में त्रुटि की है । रिलीज डीड के आधार पर कृषि भूमि में हिस्से का अन्तरण नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि– विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरटी 2008 (2) पेज 850, आरआरटी 2014 (1) पेज 509 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने दावा हक, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें यह कथन किया गया था कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने गलत रूप से अपनी माता का 1/3 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया है । वादग्रस्त आराजी में वादी ने अपने दावे में 1/3 का खातेदार कृषक घोषित कर विभाजन की सहायता चाही थी और अपील में 1/2 हिस्से की मांग कर रहे हैं । अपीलान्ट दावे की प्लीडिंग के विपरीत कथन कर रहे हैं । अपीलान्ट वादी की माता अभी जीवित है ऐसी स्थिति में उनके जीवनकाल में उनके 1/3 हिस्से को प्राप्त करने का वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपनी नजीर 2013 (2) पेज 832 में रिलीज डीड के निष्पादन को विधिक नामा है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने हक, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है यद्यपि दावे की मद संख्या 2 में उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में वो 1/2 हिस्से के अधिकारी हैं परन्तु दावे के अंतिम पृष्ठ में उन्होंने वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की है और विभाजन की सहायता चाही है ।

11. वादी की ओर से साक्ष्य में बयान वादी कराये गये हैं और दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी कम 1 का 2/3 हिस्सा दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 प्रदर्श– 2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी कम 3 का 2/3 हिस्सा दर्ज है ।

12. पत्रावली पर बयान वादी व प्रतिवाद कम 1 भी संलग्न है । बयानों पर पी.डब्ल्यू. अथवा डी. डब्ल्यू. अंकित नहीं किया गया है ।

13. वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 प्रदर्श–1 एवं 2 के अनुसर वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज है । वादी के द्वारा दावा यह कथन करते हुए पेश किया गया है कि प्रतिवादी कम 2 ने प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में जो रिलीज डीड का निष्पादन किया है वह विधि – विरूद्ध है । हालांकि रिलीज डीड की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है परन्तु नकल जमाबन्दी सवंत् 2063 से 2066 में नामान्तरकरण संख्या 647 का हवाला है जिसके अनुसार प्रतिवादी कम 2 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में रिलीज डीड के आधार पर दर्ज करने की स्वीकृति हुई है ।

14. वादी के द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय में बयान दिये गये हैं उसमें उन्होंने जिरह में यह स्वीकार किया है कि उनकी माता सुशीला अभी जीवित हैं । ऐसी स्थिति में यदि अपीलान्ट के तर्क को स्वीकार किया जावे कि कृषि भूमि में रिलीज डीउ के आधार पर हक अन्तरण नहीं हो सकते तो भी उनकी माता अभी जीवित है । ऐसी स्थिति में यदि रिलीज डीड के आधार पर हक अन्तरण को स्वीकार नहीं किया जावे तो भी वादग्रस्त आराजी में उनका हिस्सा 1/3 ही रहेगा । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय आरआरटी 2013 (2) पेज 832 में हक, त्याग पत्र के निष्पादन को सही माना है । वादी ने अपने दावे में पृष्ठ संख्या 4 में 1/3 का

खातेदार कृषक घोषित कर विभाजन की सहायता मांगी है और अधीनस्थ न्यायालय ने उनका 1/3 हिस्सा पृथक से दर्ज करने लिए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2018 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 19.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा